राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK

राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति-सं. 13/2006
10 अप्रैल, 2006

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

महोदय,

"अपने ग्राहक को पहचानो" दिशा-निर्देश - काले धन को वैध करने के प्रतिरोधक मानक

कृपया "अपने ग्राहक को पहचानो" से संबंधित दिशा-निर्देशों के बारे में रा.आ.बैंक द्वारा जारी परिपत्रों सं. (1) राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति-सं. 02/2004-05 दिनांक 25.8.2004 (2) राआबैंक(नदि)/ डीआरएस/ नीति-सं. 05/2004-05 दिनांक 23.9.2004 और (3) राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति-सं. 08/2004-05 दिनांक 31.3.2005 का संदर्भ लें जिनमें आवास वित्त कंपनियों को खाता खोलने के समय ग्राहक की पहचान करने और संदिग्ध किस्म के लेनदेन पर निगरानी करने के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के लिए सूचित किया गया था ताकि संबंधित प्राधिकारियों को उसकी सूचना दी जा सके ।

2. काले धन को वैध करने के प्रतिरोधक मानकों के वित्तीय कार्य बल द्वारा की गई सिफारिशें और आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रतिरोधक मानक अन्तराष्ट्रीय महत्व के बन गए हैं ताकि विनियामक प्राधिकारियों द्वारा काले धन को वैध करने और आतंकवाद को वित्तीय सहायता रोकने के लिए प्रतिरोधक नीतियां तैयार की जा सकें । बैंकों/वित्तीय संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा इन मानकों का अनुपालन करना अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्बंधों के लिए आवश्यक है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों और शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए वित्तीय कार्य बल की सिफारिशों और काले धन को वैध करने के प्रतिरोधक मानकों तथा विनियामक प्राधिकारियों द्वारा आतंकवाद को वित्तीय सहायता उपलब्ध न होने के परिप्रेक्ष्य में "अपने ग्राहक को पहचानो" संशोधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने कारोबार के अनुरूप उन्हें संशोधित करके अपनाने के लिए सूचित किया, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि "केवाईसी" और एएमएल उपायों पर अपने निदेशक मंडल की अनुमति से उचित नीति बनाएं । रा.आ.बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों के लिए जारी "अपने ग्राहक को पहचानो" दिशा-निर्देशों को भी उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में संशोधित किया गया है तथा इस विषय पर संशोधित दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया गया है । आवास वित्त कंपनियों द्वारा उनका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए संलग्न किया जा रहा है ।

3. आवास वित्त कंपनियों को सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि "अपने ग्राहक को पहचानो" और काले धन को वैध करने के प्रतिरोधक मानक तैयार करने के लिए उचित नीति तैयार करें और उसे बोर्ड के अनुमोदनार्थ 30.6.2006 तक प्रस्तुत करें । यह भी सुनिश्चित करें कि आवास वित्त कंपनियां 30.9.2006 से पूर्व इस परिपत्र के प्रावधानों का पूरी तरह अनुपालन करें ।

4. परिचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार करते समय आवास वित्त कंपनियां खाता खोलने के लिए ग्राहक से प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखें और उसे किसी भी प्रयोजन हेतु अन्य को न बताएं । अतः आवास वित्त कंपनियां सुनिश्चित करें कि ग्राहक से प्राप्त सूचना जोखिम पूर्ण व अन्तर्विष्ट न हो तथा वह जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो । ग्राहक से अन्य कोई सूचना उसकी सहमति से, खाता खोलने के बाद, अलग से ली जाए ।

5. आवास वित्त कंपनियां सुनिश्चित करें कि विदेशी अंशदान एवं विनियमावली अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का, जहां कहीं लागू हो, सख्ती से पालन किया जाए ।

6. ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत जारी किए जाते हैं और उसका कोई भी उल्लंघन या अनुपालन न करने पर अधिनियम के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा ।

7. इस बारे में रिपोर्ट प्रक्रिया शीघ्र ही तैयार हो जाएगी और उसे आवास वित्त कंपनियों के अनुपालनार्थ परिचालित किया जाएगा ।

भवदीय,

(राकेश भल्ला)
महाप्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि